

18.4.22 पत्रावली पेठा हुई वकील प्रार्थी उपदिष्ट,  
 वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे इस प्राणप  
 को आगे नही चलाना चाहते हैं। इस प्राणप  
 को नोटपैस में खारिज करवाना चाहते हैं।  
 ऐसे में यह प्राणप सारहीन हो चुका है।  
 सारहीन होने से यह प्राणप नोटपैस में  
 खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली  
 फैसल शुमार हो कर नम्बर से खर हो एवं  
 बाद तत्काल जाफा दाखिल इफ्तार हो।

Not Press  
 hu/bs

*Munir*  
 (एलएसओ डडी)  
 जिला कलेक्टर झुझुनू

